BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1215/2024

IN THE MATTER OF:

YADRAM SINGH APPLICANT

Versus

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR & ORS RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Supplementary Affidavit of District Magistrate- Hamirpur in compliance of order dated 28.11.2025	
2.	**Annexure No. RA 1: -** A copy of the Letter dated 10.02.2016	
3.	**Annexure No. RA 2: -** A copy of the Office Memorandum dated 06.01.2023	
4.	**Annexure No. RA 3: -** A copy of the Letter dated 28.01.2023	

DATED: - 18.02.2026

FILED THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF U.P.

A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013

MOB: - 9990804440

Email: - ankit.scngtup@gmail.com

COURT FEE 10 रु. Rs.10 INDIA TEN RUPEES

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1215/2024

IN THE MATTER OF:

YADRAM SINGH APPLICANT

Versus

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR & ORS RESPONDENT(S)

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE-HAMIRPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 28.11.2025

The Respondent No. 8 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Ghanshyam Meena aged about 35 years, S/o Shri Ramanand Meena, presently posted as District Magistrate – District Hamirpur, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned Respondent No. 8 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the contents of the present supplementary affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That it is most respectfully submitted that in the aforementioned Original Application pending adjudication before this Hon'ble Tribunal, the deponent had filed an Affidavit dated 29.01.2025 before the Hon'ble Tribunal. The said affidavit forms part of the record of the Hon'ble Tribunal and commences from page no. 423 thereof.

4. That it is submitted that at page no. 429 of the said affidavit, in paragraph no. 18, due to an inadvertent clerical error, an incorrect date has been mentioned. Owing to the said typographical error, the proper appreciation and analysis of paragraph no. 18 has been rendered factually inconsistent.

5. That paragraph no. 18 appearing at page no. 429 of the record of the Hon'ble Tribunal reads as under, and the same is being clarified herein for the sake of accuracy and completeness.

NOTARY
KALICHARAN NISHAD
DISTT. HEAD QUARTER
HAMIRPUR (U.P.)
Reg. No.-48(34)2016

6. That pursuant to Government Order No. 2/2016/234/45-(Environment)-16-43(Environment)/16 dated 25.01.2016

and Notifications No. 125 dated 15.01.2016 and No. 166 dated 20.01.2016 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India, the office of the deponent, vide Letter No. 337/Mining-MMC-30-Pollution Control (2015–16) dated 10.02.2016, constituted the District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) and the District Expert Appraisal Committee (DEAC). A copy of the Letter dated 10.02.2016 is being annexed as **Annexure No. RA 1** to this affidavit.

7. That in furtherance thereof, in the meeting of the DEIAA held on 23.11.2017, it was resolved that the District Survey Report (DSR) be approved in the first instance and thereafter placed in the public domain on the NIC portal of the district for transparency and public access.

8. That subsequently, a joint survey of the mining areas was conducted by the Forest Department, the Revenue Department, and the Mining Department. The concerned areas were duly delineated on the revenue maps and a joint inspection report was submitted accordingly.

9. That on the basis of the said joint report, the revised areas and proportionate extractable quantities were placed before the DEAC in its meeting dated 14.02.2019 for consideration and necessary modification in the District Survey Report

NOTARY KALICHARAN NISHAD DISTT. HAMIRPUR

(DSR). Upon due deliberation, the DEAC recommended revision in respect of nine (09) mining areas.

10. That pursuant to the recommendations of the DEAC, the DEIAA approved the revised District Survey Report in respect of the said nine (09) mining areas on 25.02.2019.

11. That it is further submitted that vide Office Memorandum No. 1420/Mining-MMC-30-Miscellaneous (2022–23) dated 06.01.2023, a Seven-Member Committee was constituted to undertake site inspections of the designated mining blocks and to determine the extractable quantity of minor minerals, the earnest money, and the geo-coordinates of the respective areas. The said Committee conducted spot inspections and submitted its report accordingly. A copy of the Office Memorandum dated 06.01.2023 is being annexed as **Annexure No. RA 2** to this affidavit.

12. That thereafter, vide Letter No. 1571/Mining-MMC-30-Miscellaneous (2022–23) dated 25.01.2023, the proposals were uploaded on the district NIC portal and placed in the public domain for a period of 21 days, inviting objections and suggestions from the general public.

NOTARY KALICHARAN NISHAD

13. That subsequently, vide Letter No. 1577/Mining-MMC-30-Miscellaneous (2022–23) dated 28.01.2023, the requisite information in the prescribed Formats 1 to 7 was forwarded to the Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, Lucknow, for necessary action. A copy of the Letter dated 28.01.2023 is being annexed as **Annexure No. RA 3** to this affidavit.

14. That in continuation thereof, the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, vide Letter No. 482/86-2023 dated 14.02.2023, granted approval for integration of eleven (11) mining areas of District Hamirpur into the District Survey Report and accorded approval to the uploaded DSR.

15. That subsequently, the Directorate of Geology and Mining, Mineral Bhawan, Lucknow, vide Letter No. 2182/M-228/Mining Policy-2017 DSR dated 12.02.2024, communicated that in pursuance of the decision taken in the joint meeting of the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and the State Expert Appraisal Committee (SEAC) held on 02.02.2024, a Standard Operating Procedure (SOP) had been finalized. The SOP required that proposals relating to the District Survey Report be examined by the SEAC and approved by the SEIAA.

NOTARY
KALICHARAN NISHAD
GOVERNMENT OF INDIA

16. That in terms of the said directions, this office, vide Letter No. 101/Mining-MMC-30-Miscellaneous (2024–25) dated 21.04.2024, constituted a Sub-Divisional Committee (SDC) comprising the Sub-Divisional Magistrate, the Executive Engineer (Irrigation Department), the Divisional Forest Officer, and the Mining Officer/Geologist.

17. That in compliance with the SOP issued by SEIAA, the SDC prepared the Draft District Survey Report–2024 (DSR) and uploaded the same on the district NIC portal on 09.05.2024, placing it in the public domain for a period of 30 days to invite objections and suggestions from the general public.

18. That upon expiry of the stipulated period of 30 days, no objections or suggestions were received either through the public domain or in the office. Consequently, the Draft District Survey Report–2024 (DSR), along with the requisite information in prescribed Formats 01 to 07, was forwarded to the SEIAA/SEAC for approval vide Letter No. 319/Mining-MMC-30-Miscellaneous (2024–25) dated 10.06.2024.

19. That thereafter, the State Expert Appraisal Committee, in its meeting dated 10.10.2024, and the State Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh, in its meeting

dated 25.10.2024, duly considered and approved the District Survey Report–2024.

20. That in this regard, the SEIAA communicated the approval vide Letter No. 733/Environment/General/2023 dated 08.11.2024 to the Director, Directorate of Geology and Mining, Lucknow.

21. That the present clarification is being submitted solely for the purpose of correcting the inadvertent clerical error in the date mentioned in paragraph no. 18 of the Reply Affidavit dated 29.01.2025, so as to ensure that the record before the Hon'ble Tribunal remains accurate, complete, and free from ambiguity.

22. That it is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the present clarification/supplementary Affidavit on record in the interest of justice.

NOTARY KALICHARAN NISHAD DISTT. HEAD QUARTER HAMIRPUR (U.P.) Reg. No. 48/24/2014 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at....Hmr......, on ..10/2/26... that the contents of the paras 1 to 22 of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Executant of this Admitted And Signed Before Me By Shri Ghanshyam Meena In The Court Premises My Office at Hmr Dated 10/2/26

DEPONENT

Kalicharan Nishad
Advocate & Notary
Distt. Hamirpur (U.P.)

 Annexure No- RA1

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

संख्या- 337 /खनिज-एम0एम0सी-तीस-प्रदूषण नियन्त्रण (2015-16) दिनांक- 10 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के पर्यावरण अनुभाग लखनऊ से निर्गत शासनादेश संख्या-2/2016/234/45-(पर्या)-16-43 (पर्या)/16 दिनांक-25.01.2016 के परिपेक्ष्य में जिलास्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी) का गठन निर्गत अधिसूचना संख्या-125 दिनांक-25.01.2016 एवं अधिसूचना संख्या-166 दिनांक-20.01.2016 की प्रति संलग्न कर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है, जो निम्नवत है :-

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016 का.आ.190(अ)- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में देश के सभी जिलों में लघु खनिजों के खनन के लिये प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिये जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रधिकरण (डीईआईएए), (जिसे इसमें इसके पश्चात् जिलों के लिये प्राधिकरण कहा गया है) गठित की गई है। जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे।

1. जिला मजिस्ट्रेट या जिले का जिला कलेक्टर -अध्यक्ष
2. जिले में ज्येष्ठतम प्रभागीय वन अधिकारी -सदस्य
3. प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ सदस्य -सदस्य
4. जिला मुख्यालय का उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय अधिकारी -सदस्य-सचिव

2- जिलों के लिये प्रधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जिले में उक्त पदों पर अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे और विशेषज्ञ सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगा।

3- जिलों के लिये प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4- जिलों के लिये प्राधिकरण अपने विनिश्चय को इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति की सिफारिशों पर आधारित करेगा

5- जिलों के लिये प्राधिकरण की सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति, देश के सभी जिलों के लिये (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीईएसी कहा गया है) गठित कर दी गई है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे :-

1.	ज्येष्ठतम कार्य पालक इंजीनियर, सिंचाई विभाग	अध्यक्ष
2.	ज्येष्ठमत उप प्रभागीय अधिकारी (वन)	सदस्य
3.	सुदूर संवेदन विभाग या जियोलोजी विभाग या राज्य भूजल विभाग का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिनिधि	सदस्य
4.	जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्ट्रर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यवसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी	सदस्य

(31)

5.	जिला परिषद् से इंजीनियर	सदस्य
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
8.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
9.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
10.	ज्येष्टतम सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
11.	जिले में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खान अधिकारी या भूगर्भविद, उसी क्रम में	सदस्य-सचिव

6- डीईएसी के अध्यक्ष और सदस्य जिले में अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे तथा गैर शासकीय सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
7- डीईएसी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो उक्त राजपत्र की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

उक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्रधिकरण एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति के गठन पर्यावरण वन एवं जल वायु प्रर्वतन भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के अनुक्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया ने सम्यक् विचारोपरान्त अपने पारित आदेश दिनांक-05.02.2016 के द्वारा डीईएसी के अध्यक्ष/सदस्य की समितियों का गठन जिलास्तर पर किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

1-	जिलाधिकारी, हमीरपुर	-अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर	-सदस्य
3-	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ सदस्य	-सदस्य
4-	उपजिलाधिकारी हमीरपुर	-सदस्य

जिलास्तरीय विशेषज्ञ आकंलन समिति के नामित अध्यक्ष/सदस्य पर्यावरण वन एवं जल वायु प्रर्वतन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के अनुक्रम में गठित समिति :-

1-	ज्येष्ठतम कार्य पालक इंजीनियर, सिंचाई विभाग हमीरपुर	-अध्यक्ष
2-	ज्येष्ठमत उप प्रभागीय अधिकारी (वन) हमीरपुर	-सदस्य
3-	सुदूर संवेदन विभाग या जियोलोजी विभाग या राज्य भूजल विभाग का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिनिधि	-सदस्य
4-	जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्ट्रर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यवसायिक स्वास्थ विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी	-सदस्य
5-	जिला परिषद्र से इंजीनियर	-सदस्य
6-	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि	-सदस्य

(33)

7-	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	-सदस्य
8-	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	-सदस्य
9-	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	-सदस्य
10-	ज्येष्टतम सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग हमीरपुर	-सदस्य
11-	जिले में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खान अधिकारी या भूगर्भविद, उसी क्रम में	-सदस्य

अतः उपसन्दिर्भित पर्यावरण वन एवं जल प्रर्वतन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के परिपेक्ष्य में उक्त समितियों का गठन जिलास्तर पर कर दिया गया है। जिलास्तर गठित समिति के सदस्य तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

संलग्नक-

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक-15.01.2016
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक-20.01.2016

(डा0 राजेश कुमार प्रजापति),
अपर जिलाधिकारी, वि0/रा0
हमीरपुर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित जिलास्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिलास्तर पर गठित की गई समिति के सदस्य/अध्यक्ष को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, हमीरपुर
2- प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर
3- प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ सदस्य
4- उपजिलाधिकारी हमीरपुर

<u>जिलास्तरीय विशेषज्ञ आकंलन समिति के अध्यक्ष/सदस्य</u>

1- ज्येष्टतम कार्य पालक इंजीनियर, सिंचाई विभाग हमीरपुर
2- ज्येष्टमत उप प्रभागीय अधिकारी (वन) हमीरपुर
3- सुदूर संवेदन विभाग या जियोलोजी विभाग या राज्य भूजल विभाग का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिनिधि
4- जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्ट्रर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यवसायिक स्वास्थ विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर।
5- जिला परिषद् से इंजीनियर हमीरपुर
6- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि हमीरपुर
7- प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया

(32)

जाने वाला विशेषज्ञ

8- प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ

9- प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ

10- ज्येष्टतम सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग हमीरपुर

11- जिले में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खान अधिकारी या भूगर्भविद, उसी क्रम में

(डा0 राजेश कुमार प्रजापति),
अपर जिलाधिकारी, वि0/रा0
हमीरपुर

Annexure No. RA-2

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या-1420/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2022-23) दिनांक- 06-01-2023

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57(सामान्य)/2017 टी0सी0-1 दिनांक-14.08.2017 व शासनादेश संख्या-1955/86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक-30.08.2019 द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(4) के प्राविधानों के तहत उपनियम-1 के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक से पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्याकंन करने हेतु समिति का गठन किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-1073/डी0एस0आर0-मिनरल्स मैपिंग/2022 दिनांक-09.11.2022, जिसके द्वारा डी0एस0आर0 में सम्मिलित उपखनिजों के खनन क्षेत्रों के अतिरिक्त उपखनिज के नये क्षेत्रों को डी0एस0आर0 में सम्मिलित किये जाने हेतु मिनरल्स मैपिंग का कार्य किया जाना है, जिस हेतु निदेशालय स्थित फोटो जियोलाजी लैब द्वारा Setellite Imagery के आधार पर उपखनिजों के सम्भावित नये क्षेत्रों का चिन्हाकंन किया गया है। जनपद में खनन योग पाये गये नये रिक्त उपखनिजों के क्षेत्रों का चिन्हाकन/सर्वेक्षण कराकर डी0एस0आर0 में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1072/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2022-23) दिनांक-17.11.2022 द्वारा राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उक्त क्षेत्रों की जांच करने के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में खान निरीक्षक, सर्वेक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 11 नये खनन क्षेत्रों में उपखनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, की आख्या प्रस्तुत की गयी है। अतः शासनादेश दिनांक-14.08.2017 व शासनादेश दिनांक-30.08.2019 में उल्लिखित प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :-

1- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हमीरपुर — अध्यक्ष
2- उपजिलाधिकारी, हमीरपुर — सदस्य
3- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं जल संसाधन विभाग, हमीरपुर — सदस्य
4- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर — सदस्य
5- क्षेत्रीय अंधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा — सदस्य
6- प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, प्रयागराज — सदस्य
7- खान अधिकारी/खान निरीक्षक हमीरपुर — सदस्य/सचिव

नये रिक्त क्षेत्र का विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	नदी का नाम	ग्राम	खण्ड	रकबा
1	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	चन्दूपुर मुहाल दरिया	61/1 व 62	24.24 हे0
2	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	सिकारोंही मोहाल दरिया	247, 255/1, 254	15.80 हे0
3	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	भटपुरा दरिया मुहाल	73/16	27.50 हे0
4	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	मीरापुर मुहाल दरिया	42/1	33.00 हे0
5	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	मनकी खुर्द	11 व 52/3	8.00 हे0
6	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	मिश्रीपुर	472	7.00 हे0
7	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	भौली मुहाल दरिया	263/40 व 264/1	14.00 हे0
8	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	उगराहट	90/3 (खण्ड-02)	25.00 हे0
9	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	उमराहट	90/3 (खण्ड-01)	30.00 हे0
10	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	मनकी कला	1/5 (खण्ड-02)	20.00 हे0
11	हमीरपुर	हमीरपुर	यमुना नदी	मनकी कला	01/5 (खण्ड-01)	24.00 हे0

अतः उक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासानादेश दिनांक–14.08.2017 व 30.08.2019 में निर्गत निर्देशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में उपलब्ध बालू/मौरम आदि के निर्धारित खण्डों में उपखनिज के खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र की अर्नेस्ट मनी तथा जियो–कोआर्डिनेट्स निर्धारण करते हुये स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

05.1.23
(डॉ0 चन्द्र भूषण)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि– गठित समिति के अनुपालन प्रेषित।

05.1.23
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

बीमा नहीं NOT INSURED
क्रमांक No. RU-341613107IN
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रू० पै०
Amount of Stamps affixed 22 Rs. P.
तारीख-मोहर
एक रजिस्ट्री प्राप्त किया Date-stamp
Received a Registered
पाने वाले का पता Addressed to
पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

Annexure No RA-3

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

संख्या–1577 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2022–23) दिनांक–28.01. ,2023

विषय– जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में Modification (सुधार) / नये क्षेत्रों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–865 / 86–2020–01(सा0) / 2020 दिनांक–12.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा जनपद में खनन हेतु उपयुक्त राजस्व ग्राम समाज एवं निजी भूमि पर उपलब्ध उपखनिजों के क्षेत्रों का गठन कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्ताव अल्प अवधि हेतु जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करके तत्सम्बन्धी विवरण अनुमोदन हेतु शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र / सार्वजनिक संख्या–1572 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2022–23) दिनांक–25.01.2023 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नये क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने हेतु 21 दिनों तक पब्लिक डोमेन में आमजन से आपत्ति / सुझाव हेतु जिला सूचना विज्ञान केन्द्र हमीरपुर (एन0आई0सी0) की वेबसाइट पर दिनांक–25.01.2023 को अपलोड किया गया है।

अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नये क्षेत्र सम्मिलित करने हेतु गाईडलाइन 2020 के अनुसार निर्धारित प्रारुप–1–7 पर सूचना पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

28.1.23

(डॉ0 चन्द्र भूषण)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28.1.23

जिलाधिकारी,
हमीरपुर